

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 29/2020

दायर तारीख :- 19-03-2020

- |             |   |
|-------------|---|
| 1. पूरण     | } पुत्रान सेडूराम समस्त जाति स्वामी निवासी मैड<br>तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। |
| 2. मुरारी   |   |
| 3. महेश     |   |
| 4. रामावतार |   |

— प्रार्थीगण

## बनाम

1. रामधन पुत्र जमन जाति अहीर निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. दांखा पत्नि रामधन जाति अहीर निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थीगण



## प्रार्थना पत्र सीमांकन पत्थरगढी एवं सीमा निश्चयकरण

उपरिस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थीगण  
श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1  
पैरोकार सरकार

## निर्णय

निर्णय दिनांक : 17.03.2021

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मैड के खसरा नम्बर 3189/0.17, 3271/0.09, 3273/0.19, 3299/0.13, 3301/0.18, 3302/0.17 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/4, प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/4, प्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/4 एवं प्रार्थी संख्या 4 का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074-2077 है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार के आदेश क्रमांक-29 दिनांक 30.05.2019 की पालना में दिनांक 12.06.2019 को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान भी करवा लिया। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के दक्षिण डोल के सहारे लगते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 3279, 3298, 3303, 3188, 3275 स्थित है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 आये दिन प्रार्थीगण की आराजी की सीमा डोल को लेकर विवाद करते हैं तथा प्रार्थीगण की आराजी की सीमा को तोड़कर प्रार्थीगण की आराजी को अपनी खातेदारी में मिलाते रहते हैं। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि वाके मैड के खसरा नम्बर 3189/0.17, 3271/0.09, 3273/0.19, 3299/0.13, 3301/0.18, 3302/0.17 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर भूमि पुलिस जाप्ता की उपस्थिति में सीमांकन, पत्थरगढी एवं सीमा निश्चयकरण किए जाने के आदेश प्रदान करें।

*Mud*  
उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

2. प्रार्थना पत्र वाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तल्की की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित, जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमावन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 996 संवत् 2074-77, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 12.06.2019, नकशा ट्रेस ग्राम मैड, नकल जमावन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 371 संवत् 2074-2077, नकल जमावन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 947 संवत् 2074-2077 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं वहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम मैड के खसरा नम्बर 3189/0.17, 3271/0.09, 3273/0.19, 3299/0.13, 3301/0.18, 3302/0.17 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमावन्दी संवत् 2074-2077 है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की सीमा-डोल तोडते हैं, जबकि, अन्य किसी का, प्रार्थीगण की आराजी से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार के आदेश क्रमांक-29 दिनांक 30.05.2019 की पालना में दिनांक 12.06.2019 को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान भी करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
6. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी सावित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

#### आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की वर्णित भूमि वाके ग्राम मैड के खसरा नम्बर 3189/0.17, 3271/0.09, 3273/0.19, 3299/0.13, 3301/0.18, 3302/0.17 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

**निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।**

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)

उपखण्ड अधिकांश  
विराटनगर (जयपुर)  
विराटनगर

